FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] मुकाम

ओदुराम बनाम भूराराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 57 सन 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 4/2/19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RCAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/2/19 को पेश हो। | [signature] |
| 20/02/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/04/19 को पेश हो। [signature] | |
| 10/04/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी | |

Scanned by CamScanner

को अपने खातेदारी खेत के चारों ओर पक्के मेढ़ स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेढ़बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेढ़बन्दी आदेश किया जावे। अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेढ़बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर ~~मेढ़बन्दी आदेश किया जावे~~ तहसीलदार बामनु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की मेढ़बन्दी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो. पत्रावली फैसल शुमार हो. दर्ज नम्बर से कम हो. दाखिल दफ्तर हो।

10.4.2019

राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2019/ 175

दिनांकः– ..................

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. आदूराम पुत्र नगाराम
जाति जाट निवासी सेवनियाला
तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. भूराराम पुत्र मोडाराम जाति जाट वगैरा 6
निवासी सेवनियाला
तहसील बायतु जिला बाडमेर

---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

**राजस्व आवेदन संख्या 57/19**

## आदेश

मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला तंहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 420/292 रकबा 24–04 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2019/ 176–180 दिनांकः– 10.4.19

**प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री आदूराम पुत्र नगाराम
4. विप्रार्थीगण भूराराम पुत्र श्री मोडाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner